



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2925]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2019/भाद्र 13, 1941

No. 2925]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2019/BHADRA 13, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

का. आ. 3192(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा मै. फ्लेक्सट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु राज्य में तालुक श्रीपेरम्बुदूर, कांचीपुरम जिले में स्थित सांडावेल्लूर 'सी' ग्राम में एक क्षेत्र विभाषित विभाषित आर्थिक जोन की स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का. आ. 596(अ) एवं का.आ. 2045(अ) क्रमभा: दिनांक 25 अप्रैल, 2006 एवम् 11 अगस्त, 2014 में निम्नानुसार संभावना करती है, अर्थात्:-

परिच्छेद 1 में “इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तथा संबंधित सेवा” क्षेत्र भादों के स्थान पर “आईटी/आईटीईएस एवम् इलेक्ट्रॉनिक संघटक हार्डवेयर विनिर्माण एवम् संबंधित सेवा” पढ़ा जाए।

[फा. सं. एफ. 2/122/2005—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2019

S.O. 3192 (E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby makes the following amendment in the Ministry of Commerce and Industry Gazette Notification Numbers S.O. 596(E) and S.O. 2045(E) dated 25th April, 2006 & 11th August, 2014 respectively for sector specific Special Economic Zone at Sandavellur ‘C’ Village in Taluk Sriperumbudur, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu by **M/s. Flextronics Technologies (India) Private Limited**, namely:-

In the paragraph 1 for the words “Electronic Hardware and related services”, the words “**IT/ITES Electronic components & Hardware manufacturing & related services**” shall be substituted.

[F. No. F. 2/122/2005-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.

4596 GI/2019